

888-KEY-2-FREE
(888-539-2373)

APIHTTF:
हम क्या करते हैं



A3PCON
ASIAN PACIFIC POLICY & PLANNING COUNCIL

APIHTTF के द्वारा हम क्या करते हैं एशियन पैसिफिक आइलैंडर मानव तस्करी कार्य बल, ए पी आई को मानव तस्करी के शिकार और उस से बचे हुए लोगों के लिये विशेष सेवाएं प्रदान करता है।

APIHTTF की सेवाएं हैं :

केस मैनेजमेंट (मामला प्रबंधन)

- सरकारी लाभ
- रहने के लिये घर की सहायता (आवास विकल्प)
- सामाजिक और मानव सेवाएं कानूनी सेवाएं :

- अप्रवासन (इमिग्रेशन) की मदद (जैसे टी-वीसा नागरिकता के कानूनी केस और भेदभाव और मज़दूरी न मिलने के लिये प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेशन) के दावे।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं :

- उदासी (डिप्रेशन), दर्दनाक घटना के बाद तनाव, घबराहट जैसे स्थिति के लिये चिकित्सा और इलाज।

अपराध के पीड़ितों के लिये वित्त पोषित अनुदान एजेंसियों:

- Thai Community Development Center (Thai CDC)
- Pacific Asian Counseling Services (PACS)
- Asian Pacific AIDS Intervention Team (APAIT)
- South Asian Network (SAN)
- Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA)
- Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST)
- Korean American Family Services (KFAM)
- Asian Americans Advancing Justice (AAAJ)

Other agencies:

- Crittenton Services for Children and Families U.S.
- Department of Labor-Wage and Hour Division
- Faith and Community Empowerment
- Los Angeles District Attorney's Victim Services LA
- City Transgender Advisory Council
- Pilipino Workers Center (PWC) International
- Institute of Los Angeles(IILA)

एशियन पैसिफिक
आइलैंडर मानव तस्करी
कार्य बल



APIHTTF

अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मानव तस्करी का शिकार हो सकता है, तो कृपया CAST तस्करी के खिलाफ 24 घंटे की हॉटलाइन में कॉल करें: **888-KEY-2-FREE (888-539-2373)**



मानव तस्करी क्या है ?

तस्करी के शिकार के सुरक्षा कार्य (अधिनियम) (TVPA) तस्करी के गंभीर रूप को परभाषित (मैंने देता है) करता है। जैसे कि:

यौन (sex) के लिये तस्करी :

जिस में यौन का व्यापार ज़बरदसती , धोखेबाज़ी या दबाव से किया जाता है

या

- श्रम (labor) तस्करी :

जबरन, धोखेबाज़ी या मज़बूरी के उपयोग से श्रम के लिये किसी व्यक्ति को लाया जाता है

मानव तस्करी के शिकार किसी भी जाति / जातीयता, उम्र या लिंग का हो सकता है

संभावित शिकार की पहचान करना :

शिकार की पहचान करने के लिये संकेत (लक्षण) या **लाल-झंडी** है :

चिंतित, भयभीत या पागल दिखना और /या नज़रों से नज़र मिलाने को टालना

- तस्करों के द्वारा निशानी (branding) के रूप में अस्पष्ट घाव या घाव के निशान या टैटू

- पहचान के रूप में कोई कागज़ात नहीं होते हैं, जैसे कि (पासपोर्ट, अप्रवासी वीसा, सामाजिक सुरक्षा (सोशल स्कूरिटी) कार्ड, राज्य ई डी या ड्राइवर्स लइसेंस

- कानूनी अप्सरों से डर

- काम या घर छोड़ने में असमर्थ

- प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करके दुहराना

- सार्वजनिक रूप में हमेशा: किसी ओर के साथ ही देखे जाना

- परिवहन शुल्क (ट्रांसपोर्ट फी) या अन्य शुल्क के लिये, लिया गया श्रण (क़र्ज़)

बकाया कराना

- एक छोटे स्थान में बहुत लोग का साथ रहना

- अपने पैसे खरचने की आज़ादी नहीं

- अर्धक से अर्धक लंबे समय तक काम करते हैं

- अवैतनिक या बहुत कम वेतन (wages) प्राप्त करते हैं

- लंबे समय तक काम करने के बाद भी ब्रेक लेने की अनुमति नहीं

देते

आगे क्या करना है

यदि आप पकड़े जाने के डर के बिना, अकेले उन से बात करने में सफल होते हैं, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं :

- क्या आप जब चाहें तो अपना काम या घर छोड़ सकते हैं ?

- क्या आप को या आप के परिवार को धमकी दी जा रही है ?

- क्या आप अपने नयोक्ता (employer) से डरते हैं ?

- क्या आप का पासपोर्ट या ई डी आप के आगमन (arrival) पर से लिया गया था ?

इन एपीआई भाषा में सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं

थाई

कोरियाई

खमेर

वियतनामी

बंगला

तगलोग

हिंदी

उर्दू

जापानी

चीनी

नेपाली

गुजराती